न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 813–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–11–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 205/अपील/2009–10.

रामनारायण आ. इमरतलाल गाडरी
निवासी ग्राम गूजरवाडा
तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1– वीरेन्द्र सिंह आ. रघुवीर सिंह
2– सुरेन्द्र सिंह आ. रघुवीर सिंह
निवासीगण ग्राम गूजरवाडा
तहसीसील बावई जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी.के. तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, बावई के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गूजरवाडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 642/6 रकबा 0.192 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है एवं सर्वे कमांक 642/4 रकबा 0.192 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । अनावेदक कमांक 1 की भूमि में से 0.09 एकड़ भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया

जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–70/2005–06 दर्ज कर दिनांक 22–5–2008 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि में से आवेदक को बेदखल किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–4–2009 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरसत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदपुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा 18–11–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन के संबंध में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही अवैध होने से उसके आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(2) तहसीलदार के समक्ष प्रतिपरीक्षण में स्वयं अनावेदकगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का 5–6 वर्ष से कब्जा है, जबकि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत जानकारी के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर कब्जा हटाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य था ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष भूमिस्वामी नन्हेलाल अहिरवार द्वारा कथन में बताया गया है कि उसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को भूमि विक्रय की गई है, और उसकी भूमि के पूर्व दिशा में उमाचरण परसाई की भूमि स्थित थी । अन्य साक्षीगण द्वारा भी कथन में बतलाया गया है कि आवेदक की भूमि अनावेदकगण की भूमि से लगी हुई नहीं है, परन्तु उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, और तहसील न्यायालय के उपरोक्त अवैधानिक आदेश को बिना विचार किये स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1995 आर.एन. 214 एवं 1998 आर.एन. 16 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन में किसी को भी पूर्व सूचना दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल कुछ न्याय दृष्टांतों में न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना चाहिए, परन्तु आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का पड़ोसी कृषक नहीं है ।

(2) सीमांकन के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात प्रश्नाधीन भूमि से लगी भूमि सर्वे कमांक 642/8 रकबा 0.16 एकड़ पर आवेदक का नाम दर्ज हुआ है, इसलिए आवेदक को सूचना दिये जाने का कोई औचित्य नहीं था ।

(3) 1998 आर.एन. 318 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार है, और राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदकगण की भूमि का विधिवत सीमांकन किया गया है ।

(4) आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से लगी भूमि का भूमिस्वामी नहीं होने के बावजूद भी सीमांकन कार्यवाही में उसे मौखिक रूप से सूचना दी गई है, और उसका भतीजा कमलेश पाल मौके पर उपस्थित हुआ है ।

(5) सीमांकन कार्यवाही हो जाने के उपरांत तहसीलदार द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, सीमांकन के संबंध में केवल पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है ।

(6) सीमांकन कार्यवाही हुए 9 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, इसलिए वह कार्यवाही अंतिम हो चुकी है, और संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है ।

(7) आवेदक का यह कथन सही नहीं है कि सर्वे कमांक 642/6 बावई–बागरा मुख्य मार्ग से लगी हुई नहीं है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का एक भाग मुख्य मार्ग से लगा हुआ है ।

(8) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(9) संहिता की धारा 250 की कार्यवाही के लिए सीमांकन दिनांक से समय–सीमा लागू होती है, और अनावेदकगण की ओर से सीमांकन दिनांक से 2 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र

प्रस्तुत कर दिया गया है, अतः इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का तर्क त्रुटिपूर्ण है कि प्रश्नाधीन भूमि पर 6–7 वर्षो से कब्जा होना अनावेदकगण द्वारा स्वीकार किया गया है ।

(10) तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने का पारित आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्हें कब्जा भी दिला दिया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 1998 आर.एन. 318, 1998 आर.एन. 318, 1997 आर.एन. 92, 2013 आर.एन. 277, 1998 आर.एन. 319, 2012 आर.एन. 409 एवं 2014 आर.एन. 227 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन विधिवत आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर स्थायी सीमा चिन्हों से किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः विधिवत किये गये सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में दिनांक 22–5–2008 को आदेश पारित कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर